संचिका सं0—7 / MCH—35—32 / 2024— 413 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वाराः— **सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक— 06/02/2025

विषयः— **प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में राज्य के अररिया जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढ़ीकरण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रू० 4,01,78,00,000/— (रुपये चार अरब एक करोड़ अठहतर लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2024—25 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएँ एवं युवाओं के समक्ष तकनीकी और उच्च शिक्षा के अवसरों को और बढाने एवं राज्य में ही बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसी क्रम में अररिया में प्रतिवर्ष 100 नामांकन क्षमता का चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय दिनाक—22.01.2025 को प्रगति यात्रा के प्रथम चरण में जिले के भ्रमण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है।

2— तद्क्रम में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना के पत्राक—10267 दिनाक—29.01.2025 द्वारा इस योजना अर्थात् 100 नामांकन क्षमता एवं 430 बेड राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, अररिया के भवन निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढीकरण हेतु रु० 4,01,78,00,000/— (रुपये चार अरब एक करोड अठहतर लाख) मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन (प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव) उपलब्ध कराया गया है।

3— प्रस्तावित परियोजना हेतु नक्शा एवं स्थूल प्राक्कलन CPWD Plinth Area Rate 2021 के आधार पर तैयार किया गया है। तैयार प्राक्कलन में National Medical Council (NMC) 2020 एव IPHS Guidelines 2022 के अनुसार न्यूनतम आवश्कताओ को ध्यान में रखते हुए Teaching Hospital एवं College Campus को अलग—अलग भू—खंडों मे स्थापित किया जाना है। इस संदर्भ में Teaching Hospital के रूप में लगभग 12 कि0मी0 पर अवस्थित वर्तमान सदर अस्पताल का उपयोग किया जाना है। विषयांकित परियोजना के लिए 20 एकड सरकारी भूमि चिन्हित की जा चुकी है ।

4— उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा। वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए कार्य करायेगेः—

(क) बिहार स्वास्थ्य सेवाए एव आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्त्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रकिया अंकित करेगे।

(ख) कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत नहीं कराया जा रहा है।

(ग) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी0डब्ल्यू0डी0 कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(घ) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की जवाबदेही संबंधित अभियन्ता की होगी।

(ड) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए संबंधित अभियन्ता जिम्मेवार माने जायेंगे।

5— उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव है कि प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम मे राज्य के अररिया जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढीकरण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रू० 4,01,78,00,000/— (रुपये चार अरब एक करोड अठहतर लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2024—25 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6— इस व्यय का वहन माँग सख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 050 भूमि—0103—नये चिकित्सा महाविद्यालय एव पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड—20—4210030500103, विषय शीर्ष—53 01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि एव आगामी वर्षों में प्राप्त उपबंध से किया जाएगा।

7—इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटनाहोगे तथा नियंत्री पदाधिकारी. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8— अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001के अन्तर्गत ledger ID------ में जमा कर राशि का खर्च विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराएँगे।

9—बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

10—प्रस्ताव मे मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक—04.02 2025 में मद संख्या—84 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

11—राज्यादेश प्रारूप में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—7/MCH—35—32/2024 के पृष्ठ—..10.../टि0 में प्राप्त है।

12—राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

13—संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14— यह मात्र राज्यादेश है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.2.25

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–7 / MCH–35–32 / 2024– 413 (7) / स्वा0, पटना, दिनांक– 06/02/2025

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–04.02.2025 में मद संख्या–84 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां / जिला पदाधिकारी, अररिया / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7 / लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई–मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

6.2.25

सरकार के अपर सचिव